

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 138/2016/जोधपुर.

मैसर्स सुरेश सैण्ड स्टोन, जोधपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, वृत्त-‘ई’, जोधपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पी.एम.चौपड़ा, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी.पी.ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19/04/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे ‘अपीलीय अधिकारी’ कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 38/आरवैट/जेयूई/14-15 में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.09.2015 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ‘वैट अधिनियम’ कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-‘ई’, जोधपुर (जिसे आगे ‘कर निर्धारण अधिकारी’ कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 03.07.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. उक्त प्रकरण में तथ्य एवं विधिक विवाद निम्न हैं :-

अपीलार्थी व्यवहारी का वर्ष 2004-05 का कर निर्धारण राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे ‘अधिनियम’ कहा जायेगा) की धारा 29(4) के तहत दिनांक 04.01.2007 को पारित किया गया था जिसमें कुल रूपये 18,55,489/- के माल का विक्रय घोषणा पत्र एस.टी.17 के समर्थन से किया गया था अर्थात् उस विक्रय पर कर से मुक्ति प्राप्त की गयी थी एवं उस विक्रय पर कर की मुक्ति घोषणा पत्र के प्रस्तुत होने की शर्त पर ली गयी थी। व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण के पश्चात् कुछ घोषणा पत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर दिनांक 28.03.2007 को आदेश पारित करते हुए मांग में कमी की गई परन्तु अवशेष आवश्यक घोषणा पत्र एस.टी.17 रूपये 12,71,921/- के अप्रस्तुत रहने से कर राशि मय ब्याज आरोपित की गई। उसके पश्चात् घोषणा पत्र प्रस्तुत करने हेतु व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 26.06.2014 को वैट-15 प्रस्तुत कर मांग में संशोधन किये जाने का निवेदन किया गया था जिसे दिनांक 03.07.2014 को अस्वीकार



लगातार.....2

किया गया था। उसके पश्चात् व्यवसायी द्वारा पुनः संशोधन किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तथाकथित आदेश दिनांक 05.11.2014 से उक्त प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिया गया (तथाकथित दिनांक इसलिए लिखा जा रहा है कि कर निर्धारण पत्रावली पर इस दिनांक 05.11.2014 का अंकन नहीं है एवं आदेश में कोई दिनांक अंकित नहीं की है किन्तु अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 05.11.2014 अंकित की है)। दिनांक 05.11.2014 के आदेश से व्यथित होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाने पर उनके द्वारा दिनांक 21.09.2015 को यह निर्णय किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संशोधन आवेदन-पत्र को मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 04.01.2007 के लगभग 7 वर्ष से अधिक समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किया है जो कालातीत होने से संशोधन योग्य नहीं होने से उचित रूप से अस्वीकार किया गया है, इस आधार पर अपील खारिज की गई।

3. अपीलीय आदेश के अध्ययन से यह भी तथ्य पाया गया कि अपीलीय अधिकारी ने अपील सुनवाई के दौरान विवादित आदेश दिनांक 05.11.2014 के बाद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई अन्य कार्यवाहियों का भी वर्णन किया गया है जिसमें यह बताया गया कि जो घोषणा पत्र 12,71,921/- के स्वीकार करने से इन्कार किया गया था, उन्हें राज्य सरकार के नियमों में संशोधन करने के फलस्वरूप दिनांक 29.05.2015 को स्वीकार कर लिया गया था एवं स्वीकार किये गये आदेश दिनांक 29.05.2015 को पुनः संशोधन किये जाने हेतु भी नोटिस जारी किये हुए थे। इस तरह उक्त तथ्यों के अधीन प्रस्तुत अपील की सुनवाई की गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वित्तीय वर्ष 2004-05 में अपीलार्थी द्वारा जो माल पुनः विक्रय करते हुए क्रेता व्यवसायी को विक्रय किया गया था उस माल को क्रेता व्यवहारी द्वारा आगे देश के बाहर विक्रय कर दिया गया है तथा उस क्रेता मैसर्स यू.एस.एल. एक्सपोर्ट पर उसके सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर भी आरोपित कर दिया गया था जो बाद में एमनेस्टी स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करते हुए मांग समाप्त हो गयी थी। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि चूंकि क्रेता ने कर जमा करा दिया था अतः दोहरा कर आरोपित नहीं करने के बिन्दु को अपीलीय अधिकारी द्वारा विचार नहीं करते हुए अपील अस्वीकार की है, जिस पर विचार करने का निवेदन किया। मुख्य रूप से विद्वान अभिभाषक ने दोहरे करारोपण के आधार पर अपीलार्थी की मांग को समाप्त करने का निवेदन किया।



5. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश को विधिसम्मत बताया एवं उसे यथावत रखने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. पत्रावली के सम्पूर्ण अध्ययन पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये हैं :-


(1) अपीलार्थी व्यवहारी का वर्ष 2004-05 के कर निर्धारण के समय एवं कर निर्धारण के पश्चात् वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक पुनः विक्रय के समर्थन में प्रस्तुत घोषणा पत्र स्वीकार करते हुए मांग में कमी कर दी गयी थी एवं दिनांक 31.03.2007 के पश्चात् कुल रूपये 12,71,921/- के घोषणा पत्र एस.टी.17 अवशेष रहने से उस विक्रय पर विधिक कर दर से कर एवं ब्याज आरोपित किया गया था।

उक्त समस्त बिक्री मैसर्स यू.एस.एल. एक्सपोर्ट जोधपुर को की गयी थी जिनके द्वारा एस.टी.17 घोषणा पत्र For Resale अपीलार्थी व्यवहारी को नहीं दिये गये थे।

(2) इस अवधि के पश्चात् प्रथम बार दिनांक 03.07.2014 को एस.टी.17 के स्थान पर दिनांक 26.06.2014 को वेट अधिनियम के तहत एक्सपोर्ट के लिये की जाने वाली बिक्री पर निर्धारित घोषणा पत्र वेट-15 प्रस्तुत किये गये जिसे दिनांक 03.07.2014 को अस्वीकार कर दिया गया था। उसके पश्चात् पुनः दिनांक 27.10.2014 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन किया कि क्रेता व्यवसायी यू.एस.एल. एक्सपोर्ट जोधपुर द्वारा उस खरीदे गये माल पर कर आरोपित कर दिया गया है एवं वह कर क्रेता द्वारा जमा करवा दिया गया है अतः उस आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी को लाभ देते हुए एक ही माल पर दो बार कर नहीं देने का तर्क देते हुए मांग हटाये जाने का निवेदन किया था। इस प्रार्थना-पत्र को दिनांक 05.11.2014 को आदेश पारित करते हुए अस्वीकार किया गया जिसमें प्रार्थना-पत्र को कालातीत होने के कारण मांग में कमी किया जाना सम्भव नहीं बताया गया। इस तरह दिनांक 27.10.2014 की आवेदन पत्र पर पारित आदेश दिनांक 05.11.2014 के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की गयी थी जिसे अपीलीय अधिकारी ने भी पुनः इस आधार पर अस्वीकार किया है कि अपीलार्थी का संशोधन आवेदन पत्र लगभग 7 वर्ष से अधिक समयावधि बाद प्रस्तुत है जो कालातीत होने से संशोधन योग्य नहीं है।



8. अपीलार्थी व्यवहारी ने जो आवेदन पत्र दिनांक 27.10.2014 को प्रस्तुत किया था वह व्यवसायी के वर्ष 2004-05 के निर्धारण आदेश दिनांक 04.01.2007 में संशोधन करने से सम्बन्धित था जो आदेश दिनांक से सात वर्ष पश्चात् पेश होने से धारा 37 राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 एवं धारा 33 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में निर्धारित विधिक समयावधि 4 वर्ष के बाद ही कालातीत होने से ग्रहणीय नहीं था एवं इस आधार पर कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का आदेश विधि अनुकूल है।
9. अपीलार्थी के आवेदन पर गुणावगुण पर भी विचार किया गया तब पाया कि विवादित कर निर्धारण आदेश में किसी तरह की त्रुटि mistake apparent on record नहीं है जो संशोधन योग्य है अतः इस आधार पर भी अपील स्वीकार योग्य नहीं है।
10. फलतः अपीलीय आदेश एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है
11. निर्णय सुनाया गया।

  
( के. एल. जैन )  
सदस्य